उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–7
संख्याः /XX–7/2019–01(63)2016
देहरादून, दिनांक 10 फरवरी, 2021

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्याः 1, वर्ष 2008) की धारा 87 की उपधारा (1) सपठित धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस, अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस) सेवा नियमावली, 2018 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस, अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस, अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021" है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 15 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस, अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस सेवा नियमावली, 2018 (जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 15(क) (तीन), 15(क)(छः), 15(क)(सात),15(ख),15(ड),15(च) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(तीन) भर्ती हेतु निर्गत विज्ञप्ति में अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र भी प्रिन्ट कराया जायेगा एवं पूर्ण रूप से भरे हुए तथा समस्त संलग्नकों सहित आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि की सांय 5.00 बजे तक जमा करना होगा। आवेदन पत्र भर्ती केन्द्र के निर्धारित कार्यालय में कार्यालय दिवस में सीधे भी जमा किये जा सकते है। अपूर्ण आवेदन पत्रों को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।	(तीन) आरक्षी के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति चयन आयोग द्वारा निर्गत की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र, समस्त संलग्नकों सहित आयोग को अन्तिम तिथि की सायं 17:00 बजे तक जमा कराना होगा। आवेदन पत्र सम्बन्धित चयन आयोग के कार्यालय में कार्यालय दिवस में सीधे भी जमा किए जा सकेंगें। अपूर्ण आवेदन पत्रों को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(छः) भर्ती हेतु निर्गत विज्ञप्ति के साथ संलग्न आवेदन पत्र को A–4 साईज के पेपर में अंकित कराकर एवं निर्धारित परीक्षा शुल्क ट्रेजरी चालान के माध्यम से राजकोष में जमा कराकर भर्ती केन्द्र के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

(सात) प्रत्येक आवेदन पत्र में यथास्थिति आयु, दसवीं बारहवीं और स्नातक/स्नातकोत्तर के प्रमाण पत्र, होम गार्ड प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की अनुप्रमाणिक प्रतियां संलग्न होनी चाहिए।

समुचित रूप से भरे गये पूर्ण आवेदन पत्रों को संबंधित वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक कार्यालय(भर्ती केन्द्र) में जमा करना होगा।

(ख) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र/समस्त प्रमाण पत्रों का परीक्षण, प्रवेश पत्र जारी किये जाने के पूर्व किया जायेगा। यदि कोई प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में प्रस्तुत किया दर्शाया गया हो, किन्तु उसमें संलग्न न पाया गया हो, तो अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र सम्बन्धित भर्ती केन्द्र प्रभारी द्वारा जारी किये जायेंगे जिस जनपद/भर्ती केन्द्र में आवेदन पत्र जमा/प्रेषित किये गये हों। शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा/ लिखित परीक्षा का दिनांक और समय सहित, परीक्षा–कोड /नाम/पता और परीक्षा केन्द्र स्थल आदि का उल्लेख सम्बन्धित प्रवेश पत्रों में स्पष्ट रूप से किया जायेगा। भर्ती के सम्बन्ध में निर्धारित तिथियों के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से भी सम्बन्धित भर्ती केन्द्र प्रभारी द्वारा दी जा सकती है। ऐसे दस्तावेजों, जो अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए जाने हेतु अपेक्षित हों, को प्रवेश पत्रों में स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा। प्रवेश पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व पहुच जाने चाहिए। यदि प्रवेश

(छः) भर्ती हेतु निर्गत विज्ञप्ति के साथ संलग्न आवेदन पत्र को A–4 साईज के पेपर में अंकित कराकर एवं निर्धारित परीक्षा शुल्क ट्रेजरी चालान के माध्यम से राजकोष में जमा कराकर चयन आयोग के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

(सात) प्रत्येक आवेदन पत्र में यथास्थिति आयु, दसवीं बारहवीं और स्नातक/स्नातकोत्तर के प्रमाण पत्र, होम गार्ड प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की अनुप्रमाणिक प्रतियां संलग्न होनी चाहिए।

(ख) आवेदन पत्र/समस्त प्रमाण पत्रों का परीक्षण, प्रवेश पत्र जारी किये जाने के पूर्व किया जायेगा। यदि कोई प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में प्रस्तुत किया दर्शाया गया हो, किन्तु उसमें संलग्न न पाया गया हो, तो अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है। सम्बन्धित चयन आयोग प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर अभ्यर्थियों की जनपदवार सूची पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराएगा। पुलिस मुख्यालय जिले के भर्ती केन्द्र के लिए प्राधिकृत केन्द्र प्रभारी को उनसे सम्बन्धित जनपद की सूची उपलब्ध कराएंगे। सम्बन्धित जनपद के केन्द्र प्रभारी अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक एवं दक्षता परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र निर्गत करेंगे। शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा की दिनांक (समय सहित), परीक्षा–कोड/नाम /पता और परीक्षा केन्द्र स्थल आदि का उल्लेख सम्बन्धित प्रवेश पत्रों में स्पष्ट रूप से किया जायेगा। भर्ती के सम्बन्ध में निर्धारित तिथियों के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से भी सम्बन्धित भर्ती केन्द्र प्रभारी द्वारा दी जा सकती है। ऐसे दस्तावेजों, जो अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए जाने हेतु अपेक्षित हों, को प्रवेश पत्रों में स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा। प्रवेश पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से कम से कम एक सप्ताह

प्रवेश पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होता है तो अभ्यर्थी सम्बन्धित भर्ती केन्द्र से सम्पर्क कर सकते है।

(ड) शारिरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी, जिसकी प्रक्रिया **परिशिष्ट–4 में** दी गई है।

(च) शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं लिखित परीक्षा के अंकों के योग के आधार पर विद्यमान आरक्षण नियमों एवं वरिष्ठता निर्धारण हेतु निर्धारित नियमों के दृष्टिगत सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों (प्रभारी भर्ती केन्द्र) द्वारा जनपदवार अन्तिम मैरिट सूचियां तैयार की जायेगी। अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक होगी, उसे वरिष्ठता क्रम में रखा जायेगा।यदि दोनों अभ्यर्थियों की जन्म तिथि भी एक समान होती है तो ऐसी स्थिति में लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठता प्रदान की जायेगी, लिखित परीक्षा में भी समान अंक होने पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंक के आधार पर वरिष्ठता प्रदान की जायेगी। अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी एवं पुलिस विभाग की बैबसाईट तथा स्थानीय पत्रों में भी प्रकाशित की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की कोई प्रतीक्षा सूची नहीं बनायी जायेगी।

पूर्व पहुच जाने चाहिए। यदि प्रवेश पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होता है तो अभ्यर्थी सम्बन्धित भर्ती केन्द्र से सम्पर्क कर, प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते है।

(ड) उक्त नियम (घ) के अधीन शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की जनपद वार प्राप्तांक युक्त सूची पुलिस मुख्यालय द्वारा आयोग को प्रेषित की जायेगी। चयन आयोग द्वारा सफल घोषित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा परिशिष्ट–4 में दी गई प्रक्रियानुयार करायी जायेगी।

(च) उक्त नियम (ड) में निहित प्राविधानानुसार सम्बन्धित चयन आयोग रिक्तियों के सापेक्ष लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की संयुक्त प्राप्तांक सूची (शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको को जोड़कर) के आधार पर विद्यमान आरक्षण नियमों वरिष्ठता निर्धारण हेतु निर्धारित नियमों के दृष्टिगत प्रवीणता सूची तैयार की जायेगी। अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक होगी, उसे वरिष्ठता क्रम में रखा जायेगा। यदि दोनों अभ्यर्थियों की जन्म तिथि भी एक समान होती है तो ऐसी स्थिति में लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठता प्रदान की जायेगी, लिखित परीक्षा में भी समान अंक होने पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंक के आधार पर वरिष्ठता प्रदान की जायेगी। अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची चयन आयोग की वैबसाईट में प्रकाशित की जायेगी तथा पुलिस विभाग की वैबसाइट में प्रकाशनार्थ पुलिस मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी।

नियम 18 का संशोधन

3. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 18 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
18. अन्तिम रूप से चिकित्सीय परीक्षण में सफल/चयनित अभ्यर्थियों से इस आशय का बन्ध पत्र लिया जायेगा कि वे प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 05 वर्ष तक यदि उनके द्वारा त्याग पत्र दिया जाता है अथवा उन्हे सेवा से हटाया जाता है अथवा अभ्यर्थी द्वारा विभाग छोडा जाता है तो नियमानुसार उनके प्रशिक्षण में व्यय धनराशि एवं प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हे भुगतान किये गये वेतन की धनराशि का भुगतान उन्हें पुलिस विभाग को करना होगा।	18. अन्तिम रूप से चयनित/चिकित्सीय परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों से इस आशय का बन्ध पत्र लिया जायेगा कि वे प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 05 वर्ष तक सेवा में रहेंगे। यदि उनके द्वारा 05 वर्ष से पूर्व त्याग पत्र दिया जाता है अथवा उनके अनुरोध पर किसी दूसरी सेवा हेतु कार्यमुक्त किया जाता है तो नियमानुसार उनके प्रशिक्षण में व्यय धनराशि एवं प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें भुगतान किये स्टाईपेण्ड/वेतन की राशि का भुगतान उन्हें पुलिस विभाग को करना होगा।

नियम 19 का संशोधन

4. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 19 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
19. अन्तिम रूप से चिकित्सीय परीक्षण में सफल/चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में नियुक्ति आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा। नियुक्ति आदेश का प्रारूप सम्बन्धित अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।	19. अन्तिम रूप से चयनित/चिकित्सकीय परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों को नियम 3 (ख) के प्राविधानानुसार पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार निर्धारित प्रारूप में नियुक्ति पत्र निर्गत किया जायेगा।

नियम 24 का संशोधन

5. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 24(क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(क) पदोन्नति के लिये निर्धारित 50 प्रतिशत रिक्तियां विभागीय परीक्षा द्वारा भरी जाएंगी। केवल ऐसे आरक्षी, जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक न हुई हो, विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार होंगे।	(क) पदोन्नति के लिये निर्धारित 50 प्रतिशत रिक्तियां विभागीय परीक्षा द्वारा भरी जाएंगी। केवल ऐसे आरक्षी, (महिला/पुरूष) जिनकी आयु, 45 वर्ष से अधिक न हुई हो, विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार होगें।

नियम 25 क का अंतःस्थापन

पदोन्नति लेने से इंकार

6. मूल नियमावली के नियम 25 के पश्चात् एक नये नियम 25 क को निम्नलिखित रूप से अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–
पदोन्नति लेने से इन्कार करने वाले कार्मिकों के सम्बन्ध में **'उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग नियमावली, 2020'** के प्राविधान तथा समय–समय पर कार्मिक विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के प्राविधान लागू होंगे।

नियम 27 का संशोधन

7. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 27(क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थातः–

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
27(क) किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी। पदोन्नति प्रक्रिया के समय नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना के कर्मियों की ज्येष्ठता सूची संवर्गवार तैयार की जायेगी।	**27(क)** किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी। पदोन्नति प्रक्रिया के समय नागरिक पुलिस, अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस के कर्मियों की ज्येष्ठता सूची संवर्गवार तैयार की जायेगी।

नियम–29 का विलोपन

8. मूल नियमावली के नियम 29 का लोप किया जायेगा:–

परिशिष्ट–4 का संशोधन

9. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दी गई विद्यमान परिशिष्ट– 4 की प्रवृष्टि 10 को विलोपित करते हुए प्रवृष्टि 2, 3, 8, 9 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गई प्रवृष्टि रख दी जायेगी अर्थातः–

स्तम्भ–1 **विद्यमान परिशिष्ट**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट**
2 लिखित परीक्षा का आयोजन तत्समय उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्राधीकृत संस्था द्वारा कराया जायेगा।	2 लिखित परीक्षा का आयोजन नियम 3(ड) में उल्लिखित चयन आयोग द्वारा कराया जायेगा।
3 यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परीक्षा के प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व अभ्यर्थी के पास प्रवेश पत्र अवश्य पहुंच जाय। यदि कोई अभ्यर्थी एक सप्ताह पूर्व प्रवेश पत्र	3 यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परीक्षा के प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व अभ्यर्थी के पास प्रवेश पत्र अवश्य पहुंच जाय। यदि कोई अभ्यर्थी एक सप्ताह पूर्व प्रवेश पत्र नहीं प्राप्त करता है,

नहीं प्राप्त करता है, तो वह बोर्ड/सम्बन्धित जनपद के भर्ती केन्द्र की हेल्पलाईन मोबाइल/लैण्डलाईन टेलीफोन या वेबसाइट के माध्यम से सम्पर्क करके इसकी दूसरी प्रति प्राप्त कर सकता है। लिखित परीक्षा की तिथि से अभ्यर्थियों को सम्बन्धित भर्ती केन्द्र के प्रभारियों द्वारा समाचारपत्रों के माध्यम से भी अवगत कराया जा सकता है।

तो वह सम्बन्धित चयन आयोग की हेल्पलाईन मोबाइल/लैण्डलाईन टेलीफोन या वेबसाइट के माध्यम से सम्पर्क करके इसकी दूसरी प्रति प्राप्त कर सकता है।

8 लिखित परीक्षा हेतु ओ0एम0आर0 शीट कार्बन प्रति के साथ तीन प्रतियों में होगी, प्रथम शीट मूल्याकंन हेतु सम्बन्धित संस्था को भेजी जायेगी, द्वितीय शीट सम्बन्धित भर्ती केन्द्र प्रभारी के पर्यवेक्षण में डबल लॉक में सुरक्षित रखी जायेगी तथा तृतीय शीट अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

8 लिखित परीक्षा हेतु ओ0एम0आर0 शीट कार्बन प्रति के साथ दो प्रतियों में होगी, प्रथम शीट मूल्याकंन हेतु परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था के पास रखी जायेगी, जबकि दूसरी कार्बन शीट अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

9 लिखित परीक्षा के पश्चात् लिखित परीक्षा की उत्तरमाला संबंधित चयन आयोग एवं उत्तराखण्ड पुलिस की बैबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी।

9 लिखित परीक्षा के पश्चात् लिखित परीक्षा की उत्तरमाला संबंधित चयन आयोग की बैबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी।

परिशिष्ट–6 का संशोधन

10. मूल नियमावली की नीचे स्तम्भ–1 में दी गई विद्यमान परिशिष्ट– 6 की प्रवृष्टि 5 तथा 9 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गई प्रवृष्टि रख दी जायेगी, अर्थात:–

स्तम्भ–1 **विद्यमान परिशिष्ट**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट**
5 सेवाभिलेख विगत 05 वर्षों का संतोषजनक हो, अर्थात प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हो, विगत 05 वर्षों में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गई हो, " परन्तु यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो, अथवा किसी कर्मी के विरूद्व विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तो एसे कर्मियों को भी उक्त परीक्षा में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, यदि परीक्षा प्रकिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही में दण्डित होता	5 सेवाभिलेख विगत 05 वर्षों का संतोषजनक हो, अर्थात प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हो, विगत 05 वर्षों में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गई हो, " परन्तु यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो, अथवा किसी कर्मी के विरूद्व विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तो एसे कर्मियों को भी उक्त परीक्षा में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, यदि परीक्षा प्रकिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही में दण्डित होता है तो उसे उसी स्तर पर चयन प्रकिया से बाहर कर दिया

है तो उसे उसी स्तर पर चयन प्रकिया से बाहर कर दिया जायेगा, यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/रिट याचिका परीक्षा प्रकिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील /विभागीय कार्यवाही के निर्णय की प्रत्याशा में उनका परीक्षा परिणाम लिफाफे में बन्द कर दिया जायेगा। निलम्बित कर्मियों को भी निर्णय की प्रत्याशा में पदोन्नति परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा।

9 चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एवं सेवा अभिलेखों मे प्राप्त अंकों का योग करने के उपरान्त प्रचलित आरक्षण नियमों के अधीन अंतिम योग्यता सूची तैयार करके उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष ज्येष्ठता के आधार पर प्रान्तीय योग्यता परीक्षा के आधार पर मुख्य आरक्षी पदोन्नति प्रशिक्षण हेतु योग्य प्रशिक्षणार्थियों का चयन करते हुये चयनित कर्मियों की मैरिट सूची पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी ।

जायेगा, यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/रिट याचिका परीक्षा प्रकिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही के निर्णय की प्रत्याशा में उनका परीक्षा परिणाम लिफाफे में बन्द कर दिया जायेगा। निलम्बित कर्मियों को भी निर्णय की प्रत्याशा में पदोन्नति परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा। अपीलीय/ विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अन्तिम निर्णय होने के पश्चात ही निर्णय के सादृश्य सम्बन्धित कर्मी का सीलबन्द लिफाफा खोला जायेगा।

9 शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल कार्मिक /अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों का निर्धारित मानकानुसार मूल्यांकन कर, कार्मिक को सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन में देय अंकों को सार्वजनिक करते हुए, उस पर 15 दिवस की समय सीमा निर्धारित कर आपत्ति/अनापत्ति प्राप्त करते हुए, मूल्यांकन सूची अन्तिम की जायेगी, जिस पर पारदर्शिता के दृष्टिगत कोई परिवर्तन सम्भव नहीं होगा। उक्त अन्तिम सूची (सेवा अभिलेखों में प्राप्त अंक) पुलिस मुख्यालय के माध्यम से सम्बन्धित चयन आयोग को प्रेषित की जायेगी। लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की संयुक्त प्राप्तांक सूची (सेवा अभिलेख मूल्यांकन अंक एवं लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको को जोड़कर) के आधार पर विद्यमान आरक्षण नियमों एवं परिशिष्ट में दी गई रीतिनुसार प्रवीणता सूची तैयार कर चयन आयोग की वैबसाइट में प्रकाशित करेगा तथा पुलिस विभाग की वैबसाइट में प्रकाशनार्थ पुलिस मुख्यालय को प्रेषित करेगा।

परिशिष्ट–7 का संशोधन

11. मूल नियमावली की नीचे स्तम्भ–1 में दी गई विद्यमान परिशिष्ट–7 की प्रवृष्टि 5 तथा 10 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गई प्रवृष्टि रख दी जायेगी, अर्थातः–

स्तम्भ–1 **विद्यमान परिशिष्ट**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट**
5 सेवाभिलेख विगत 05 वर्षों का संतोषजनक हो, अर्थात प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हो, विगत 05 वर्षों में	5 सेवाभिलेख विगत 05 वर्षों का संतोषजनक हो, अर्थात प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हो, विगत 05 वर्षों में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी

Pankaj

कर्मी सत्यनिष्ठा न रोकी गई हो,

" दण्डित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो, अथवा किसी कर्मी के विरूद्व विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तो एसे कर्मियों को भी उक्त परीक्षा में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, लेकिन परीक्षा प्रकिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही में दण्डित होता है तो उसे उसी स्तर पर चयन प्रकिया से बाहर कर दिया जायेगा, यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/रिट याचिका परीक्षा प्रकिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही के निर्णय की प्रत्याशा में उनका परीक्षा परिणाम लिफाफे में बन्द कर दिया जायेगा।" निलम्बित कर्मियों को भी निर्णय की प्रत्याशा में पदोन्नति परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा।

10 चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा, बाह्य परीक्षा एवं सेवा अभिलेखों में प्राप्त अंकों का योग करने के उपरान्त प्रचलित आरक्षण नियमों के अधीन अंतिम योग्यता सूची तैयार करके उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष ज्येष्ठता के आधार पर मुख्य आरक्षी पदोन्नति प्रशिक्षण हेतु योग्य प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जायेगा।

गई हो,

" परन्तु यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो, अथवा किसी कर्मी के विरूद्व विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तो एसे कर्मियों को भी उक्त परीक्षा में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, यदि परीक्षा प्रकिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही में दण्डित होता है तो उसे उसी स्तर पर चयन प्रकिया से बाहर कर दिया जायेगा, यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/रिट याचिका परीक्षा प्रकिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही के निर्णय की प्रत्याशा में उनका परीक्षा परिणाम लिफाफे में बन्द कर दिया जायेगा। निलम्बित कर्मियों को भी निर्णय की प्रत्याशा में पदोन्नति परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा। अपीलीय/ विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अन्तिम निर्णय होने के पश्चात ही निर्णय के सादृश्य सम्बन्धित कर्मी का सीलबन्द लिफाफा खोला जायेगा।

10 शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल कार्मिक/ अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों का निर्धारित मानकानुसार मूल्यांकन कर, कार्मिक को सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन में देय अंकों को सार्वजनिक करते हुए, उस पर 15 दिवस की समय सीमा निर्धारित कर आपत्ति/अनापत्ति प्राप्त करते हुए, मूल्यांकन सूची अन्तिम की जायेगी, जिस पर पारदर्शिता के दृष्टिगत कोई परिवर्तन सम्भव नहीं होगा। उक्त अन्तिम सूची (शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं सेवा अभिलेखों में प्राप्त अंक) पुलिस मुख्यालय के माध्यम से सम्बन्धित चयन आयोग को प्रेषित की जायेगी। लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की संयुक्त प्राप्तांक सूची (शरीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंक, सेवा अभिलेख मूल्यांकन अंक एवं लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको को जोड़कर) के आधार पर विद्यमान आरक्षण नियमों एवं परिशिष्ट में दी गई रीतिनुसार प्रवीणता सूची तैयार कर चयन आयोग की वैबसाइट में प्रकाशित करेगा तथा पुलिस विभाग की वैवसाइट में प्रकाशनार्थ पुलिस मुख्यालय को प्रेषित करेगा।

Pankaj

अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के समान होने पर श्रेष्ठता का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा:–

(क) मौलिक नियुक्ति की तिथि।

(ख) मौलिक नियुक्ति की तिथि एक ही होने पर–जिसकी आयु अधिक होगी वह वरिष्ठ माना जायेगा।

(ग) मौलिक नियुक्ति की तिथि तथा जन्म तिथि दोनों के समान होने पर सम्बन्धित कर्मियों द्वारा आरक्षी पद के गहन प्रशिक्षण के दौरान आर0टी0सी0 की ट्रैनिंग की समाप्ति पर लिखित एंव बाह्य परीक्षा के कुल प्राप्तांकों के आधार पर निर्धारित होगी।

(घ) मौलिक नियुक्ति की तिथि, जन्म तिथि तथा आर0टी0सी0 की परीक्षा से कुल प्राप्तांक समान होने पर सम्बन्धित कर्मियों द्वारा आरक्षी पद के गहन प्रशिक्षण के दौरान आर0टी0सी0 ट्रैनिंग की बाह्य परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के समान होने पर श्रेष्ठता का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा:–

(क) मौलिक नियुक्ति की तिथि।

(ख) मौलिक नियुक्ति की तिथि एक ही होने पर–जिसकी आयु अधिक होगी वह वरिष्ठ माना जायेगा।

(ग) मौलिक नियुक्ति की तिथि तथा जन्म तिथि दोनों के समान होने पर सम्बन्धित कर्मियों द्वारा आरक्षी पद के गहन प्रशिक्षण के दौरान आर0टी0सी0 की ट्रैनिंग की समाप्ति पर लिखित एंव बाह्य परीक्षा के कुल प्राप्तांकों के आधार पर निर्धारित होगी।

(घ) मौलिक नियुक्ति की तिथि, जन्म तिथि तथा आर0टी0सी0 की परीक्षा से कुल प्राप्तांक समान होने पर सम्बन्धित कर्मियों द्वारा आरक्षी पद के गहन प्रशिक्षण के दौरान आर0टी0सी0 ट्रैनिंग की बाह्य परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

परिशिष्ट–8 का संशोधन

12. मूल नियमावली की नीचे स्तम्भ–1 में दी गई विद्यमान परिशिष्ट– 8 की प्रविष्टि 3 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गई प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात:–

स्तम्भ–1 **विद्यमान परिशिष्ट**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट**
3 सेवाभिलेख विगत 05 वर्षों का संतोषजनक हो, अर्थात प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हो, विगत 05 वर्षों में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गई हो, परन्तु यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो, अथवा किसी कर्मी के विरूद्व विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तो एसे कर्मियों को भी पदोन्नति प्रकिया में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, यदि परीक्षा प्रकिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही में दण्डित होता है तो सम्बन्धित	3 सेवाभिलेख विगत 05 वर्षों का संतोषजनक हो, अर्थात प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हो, विगत 05 वर्षों में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गई हो, परन्तु यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो, अथवा किसी कर्मी के विरूद्व विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तो एसे कर्मियों को भी उक्त परीक्षा में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, यदि परीक्षा प्रकिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही में दण्डित होता है तो उसे उसी स्तर पर चयन प्रकिया से बाहर कर दिया जायेगा, यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय

कर्मी को रिट याचिका दायर करने का अधिकार होगा परन्तु यदि सम्बन्धित कर्मचारी निर्धारित समयअवधि में याचिका दायर कर विभाग को सूचित करने में असमर्थ रहता है तो उसे उसी स्तर पर चयन प्रकिया से बाहर कर दिया जायेगा, यदि ऐसे कार्मिक की अपील/विभागीय कार्यवाही/रिट याचिका परीक्षा प्रकिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही के निर्णय की प्रत्याशा में उनका चयन परिणाम लिफाफे में सील–बन्द कर दिया जायेगा। निलम्बित कर्मियों को भी निर्णय की प्रत्याशा में पदोन्नति प्रकिया में सम्मिलित किया जायेगा।

कार्यवाही/रिट याचिका परीक्षा प्रकिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही के निर्णय की प्रत्याशा में उनका परीक्षा परिणाम लिफाफे में बन्द कर दिया जायेगा। निलम्बित कर्मियों को भी निर्णय की प्रत्याशा में पदोन्नति परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा। अपीलीय/विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अन्तिम निर्णय होने के पश्चात ही निर्णय के सादृश्य सम्बन्धित कर्मी का सीलबन्द लिफाफा खोला जायेगा।

आज्ञा से

(नितेश कुमार झा)
सचिव

संख्याः १८५ (1)/XX–7–2019–01(63)2016, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपर्युक्त अधिसूचना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. कार्यालय महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, मुद्रण लेखन सामग्री, रूडकी, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना की 250 प्रतियां प्रकाशित कराते हुए शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार की विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय कुमार)
उप सचिव